पुलिस उपायुक्त कार्यालय जोन काशी, कमिश्नरेट वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक 12.04.2024

विषय:- थाना रामनगर पुलिस द्वारा 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त राजू पुत्र स्व0 भोला को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के आदेश के अनुपालन में अपराधों की रोकथाम, वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली के नेतृत्व में थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0053/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित अभियुक्त राजू पुत्र स्व0 भोला निवासी सूजाबाद थाना रामनगर वाराणसी को दिनांक 12/04/2024 को त्रिदण्डी आश्रम के पास थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी से गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-0053/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

घटना का विवरण------- दिनांक 12/04/2024 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री उमेश कुमार राय के लिखित फर्द के आधार पर नामजद अभियुक्त राजू पुत्र स्व0 भोला निवासी सूजाबाद थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी के पास से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद होने पर अभियुक्त राजू उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0053/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ-

अभियुक्त राजू

राजू पुत्र स्व0 भोला निवासी सूजाबाद थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी पूछताछ में बताया कि साहब यह जो कच्ची शराब मेरे पास से आपको मिला है इस शराब को बेचकर मैं अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करता हूँ। साहब मुझसे गलती हो गयी। मुझे माफ कर दीजिए अब ऐसी गलती दोबारा नही करूंगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजू पुत्र स्व0 भोला निवासी सूजाबाद थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 50 वर्ष

बरामदगी विवरणः-

30 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 श्री उमेश कुमार राय चौकी प्रभारी सूजाबाद थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
2- उ0नि0 श्री शिवम सोनी थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
3- हे0का0 अतुल कुमार यादव थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
4- हे0का0 विनय कुमार सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त कार्यालय
जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी।